राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1523/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
पी एस जाट 404] पंचवटी अपार्टमेन्ट] शास्त्री नगर] वार्ड 27] राणी सती रोड] सीकर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव मंत्रीमण्डल शासन सचिवालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 04-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजय शर्मा, अनुभाग अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 5-4-17 के द्वारा पत्र दिनांक 15-6-11 पर सहायक निदेशक (सतर्कता) द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण एवं पत्र दिनांक 9-10-12 के अनुसार श्री भंवरलाल सोनी के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई का विवरण आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन अ.शा.टीप दिनांक 11-4-17 के द्वारा शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को अंतरित कर दिया गया था एवं प्रथम अपील निर्णय दिनांक 30-5-17 से खारिज कर दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 6-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आवेदन स्वायत्त शासन विभाग को अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित कर अपीलार्थी को भी संसूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रीमण्डलीय सचिवालय को प्रस्तुत की गई जो कि निर्णय दिनांक 30-5-17 से उपरोक्त अंतरण को दृष्टिगत रखते हुए खारिज कर दी गई।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आवेदन पूर्व में ही स्वायत्त शासन विभाग को अंतरित कर दिया गया था, अतः मंत्रीमण्डलीय सचिवालय स्तर पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं थी फिर भी अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रमुख शासन सचिव, मंत्रीमण्डलीय सचिवालय को प्रस्तुत की गई, जिसे धारा 6(3) में अंतरित कर दिये जाने के कारण खारिज कर दी गई।

8. अतः प्रत्यर्थी स्तर पर हस्तगत अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अंतरण एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

10. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त